नम्बर व ता...
अहकाम जो ...
की तामील में जा...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 21/2021

निर्णय दिनांक :– 11.03.2022

उनवानी दावा :

1. सत्यनारायण पुत्र देवीलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. बद्री बाई पुत्री देवीलाल पत्नि बद्रीलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी कनवाडा तहसील दूनी हाल निवासी टोडा का गोठडा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अ0धारा 136 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश लोक अदालत की भावना से लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 569 ख0नं0 216 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 550 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 1693 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 1816 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 1843 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.44 वाके ग्राम कनवाडा पटवार हल्का कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 47 ख0नं0 217 रकबा 0.79 है0 ख0नं0 534 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 535 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 536 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 537 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 538 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 539 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 540 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 541 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 542 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 544 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 545 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 546 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 547 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 600 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 601 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 948 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 949 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 950 रकबा 0.31 है0 ख0नं0 1694 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 1712 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 1717 रकबा 0.07 है0 कुल किता 22 कुल रकबा 5.48 है0 वाके ग्राम कनवाडा पटवार हल्का कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थीगण के पिता को देवा व देव्या व देवीलाल इन तीनो नामों से जाना जाता था तथा देवा व देव्या बचपन के नाम है। इस कारण बोलते नामों से प्रार्थीगण के पिता का नाम खाता संख्या 569 की भूमि में देवा तथा खाता संख्या 47 की

भूमि में देव्या अंकित कर दिया गया जबकि वास्तविक नाम देवीलाल है। इसी प्रकार प्रार्थीया नं0 2 के बचपन का नाम मिश्री है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया सं0 2 का नाम मिश्री अंकित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीया संख्या 2 का वास्तविक नाम बद्री बाई है तथा प्रार्थीया संख्या 2 के अन्य सभी सरकारी रिकार्ड में प्रार्थीया संख्या 2 का नाम बद्री बाई अंकित हो रखा है। प्रार्थीगण के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेज में अलग–अलग होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानी हो रही है तथा राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है तथा ना ही ऋण प्राप्त कर पा रहे है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम न्यायहित में दुरूस्त किया जाकर सत्यनारायण पुत्र बद्री बाई पुत्री देवीलाल धाकड अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के चरण नं0 2 में वर्णित भूमि के सहखातेदारान के खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाही गयी है इस कारण उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल खाता संख्या 569 कुल किता 5 कुल रकबा 1.44 है0 एवं खाता संख्या 47 कुल किता 22 कुल रकबा 5.48 है0 वाके ग्राम कनवाडा पटवार हल्का कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में प्रार्थीगण के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 2 का नाम दुरूस्त किया जाकर सत्यनारायण पुत्र बद्री बाई पुत्री देवीलाल धाकड अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार है:–बिन्दू संख्या 1 आंशिक स्वीकार है। वादी सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 2 आंशिक स्वीकार है। वादी सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 3 वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 4 अस्वीकार है। वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 5 अस्वीकार है। बिन्दू संख्या 6 एवं 7 कानूनी है, न्यायालय से सम्बन्धित है। विशेषः–वादीगण प्रमाणित दस्तावेज साक्ष्यो द्वारा वाद सिद्ध करे। अतः जवाब दावा श्रीमान की सेवा में सादर पेश है।

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई।

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आधार कार्ड संख्या 4480 1152 5946 में बद्री बाई अंकित है व कार्यालय ग्राम पंचायत टोडा का गोठड़ा के प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत कनवाड़ा का सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे बद्री बाई दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 1 के आधार कार्ड में पिता का नाम देवीलाल धाकड़ का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 569 व खाता संख्या 47 में प्रार्थी नं. 1 के पिता का नाम देव्या व देवा का अंकन है, जिसको प्रार्थी संख्या 1 देवीलाल करवाना चाहता है। प्रार्थीया संख्या 2 को नाम मिश्री का अंकन उक्त

16.11.20

जमाबन्दी में है जिसको प्रार्थीया बद्री बाई दर्ज करवाना चाहती है। उक्त के लिए प्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेज पेश किये है। सामान्यतया ग्रामीण क्षैत्र में व्यक्ति के दो नाम, बोलते नाम व रिकॉर्ड नाम से जाना जाता है। यही स्थित उक्त प्रार्थी के मामले में भी है। पेरोकार सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कोई आपति नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 569 कुल किता 5 कुल रकबा 1.44 है. व खाता संख्या 47 कुल किता 22 कुल रकबा 5.48 है0 में दर्ज मिश्री के बजाय बद्री बाई व देव्या/देवा के बजाया देवीलाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार दूनी को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली